

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला  
हनुमानगढ़  
वीरसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.  
अन्याय - मिशन - 123/2024

1 रणवीर पुत्र सीतलराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1 कलावती देवी पुत्री दलीप कुमार
- 2 कृष्ण कुमार पुत्र मानाराम
- 3 गोपाल पुत्र मानाराम
- 4 चावली देवी पुत्री दलीप कुमार
- 5 नैसराम पुत्र दलीप कुमार
- 6 बनवारी लाल पुत्र मानाराम
- 7 भागीरथ पुत्र मानाराम
- 8 भोली देवी पत्नी मानाराम
- 9 श्राजकुमार पुत्र दलीप कुमार
- 10 रामलाल पुत्र मानाराम
- 11 शान्ति पत्नी दलीप कुमार
- 12 सुगनाराम पुत्र मानाराम
- 13 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।


जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

### डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के सम्मक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नेण व प्रतिवादी वकील परमजीत सिंह अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य राबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है ककनं 8 एम. के.एस. के पकनं 194/219 मु० 33 किलानं 4/253, 5/1/229, 5/2/025 मै०मु० खाला, 6/1/228, 6/2/025 है० मै०मु० खाला कुल 0.759 है० आराजी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे व बाकी खाता बदरतूर रहे। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 25/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण आर.एस.  
(सत्यनारायण आर.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी।

